

अध्याय 2: विभाग के अंतर्गत/बाह्य समन्वय प्रयास और कर आधार का विस्तार

2.1 विभिन्न कोड के अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के कर आधार


विभिन्न कारोबार को विशिष्ट कोड का आबंटन उचित निगरानी, संग्रहण और प्रासंगिक सूचना को साझा करने के साथ-साथ निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मामलों को विशेषज्ञता से संभालने के लिए आवश्यक है।

आईटीडी ने मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े निर्धारितियों को छः श्रेणियों⁵ के अंतर्गत कोड आबंटित किये। छः श्रेणियों में से, पांच श्रेणियाँ फिल्म और टेलीविजन सेक्टर को दी गई है जबकि एक श्रेणी 'अन्य'⁶ को दी गई है। आईटीडी की वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारितियों के कोड वार डाटा ने दर्शाया कि वि.व. 2013-14 के दौरान, मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का केवल 13 प्रतिशत ही फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र की आबंटित पांच श्रेणियों के अंतर्गत आता था जबकि निर्धारितियों का 87 प्रतिशत जो कि एक महत्वपूर्ण अनुपात है मनोरंजन क्षेत्र की 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत आता था। छः श्रेणियों के अंतर्गत इस क्षेत्र से संबंधित कर दाताओं की संख्या नीचे दिये चार्ट में दर्शाई गई है:

5

0901	मनोरंजन उद्योग [केबल टीवी]
0902	मनोरंजन उद्योग [फिल्म वितरण]
0903	मनोरंजन उद्योग [फिल्म लेबोरेट्रीज]
0904	मनोरंजन उद्योग [मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स]
0905	मनोरंजन उद्योग [टेलीविजन चैनल्स]
0906	मनोरंजन उद्योग [अन्य]

6 यह कोड खेल, फिल्म, कार्यक्रम प्रबन्धन, केबल बिजनेस, एनीमेशन आदि से संबंधित निर्धारितियों को सम्मिलित करता है।



स्रोत: आईटीआर आंकड़े, आयकर विभाग

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवीक्षा मामलों के वैज्ञानिक चयन निर्धारण के विचार से विशेषकर कोड 906 के लिए, हमने मनोरंजन क्षेत्र के लिए 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि के संबंध में डाटा⁷ का विश्लेषण किया। मनोरंजन के विभिन्न कोड के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारणों की संख्या और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि के विवरण नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 2.1: 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न कोड के अंतर्गत पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि की संख्या


(₹ करोड़ में)

बिजनेस कोड	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2013-14)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2013-14)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2014-15)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2014-15)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2015-16)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2015-16)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2016-17)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2016-17)
901	64	48.98	96	94.09	120	58.29	159	179.83
902	111	259.49	193	397.79	223	595.75	214	348.49
903	11	25.72	15	13.22	13	36.51	19	0.26
904	174	142.69	238	180.40	332	598.68	316	197.00
905	98	951.93	159	1,519.57	203	1,869.49	239	1,751.77
906	771	2,863.42	1,657	6,284.00	1,815	9,757.85	1,995	10,306.31
कुल	1,229	4,292.23	2,358	8,489.07	2,706	12,916.57	2,942	12,783.66

स्रोत: डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डाटा

7 डीजीआईटी (प्रणाली) से प्राप्त डाटा

कोड 906 (अन्य मनोरंजन क्षेत्र) में संवीक्षा निर्धारणों के दौरान की गई वृद्धियाँ मनोरंजन क्षेत्र में की गई कुल वृद्धियों के अनुपात में वि.व. 2013-14 में 66.71 प्रतिशत⁸ से वि.व. 2016-17 में 80.62 प्रतिशत⁹ तक बढ़ोतरी हुई। मनोरंजन क्षेत्र के मामलों में कुल संवीक्षा निर्धारणों के अनुपात के रूप में संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों की संख्या में यद्यपि वि.व; 2013-14 में 62.74 प्रतिशत¹⁰ से वि.व. 2016-17 में 67.82 प्रतिशत¹¹ तक बढ़ोतरी हुई। इस क्षेत्र में कुल वृद्धियों की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक कोड में की गई वृद्धि के साथ-साथ मनोरंजन क्षेत्र में संवीक्षा निर्धारणों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक कोड के लिए संवीक्षा निर्धारणों की संख्या का वर्णन प्रत्येक वि.व. (वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17) के लिए नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



उपरोक्त से यह देखा गया है कि कोड 906 (अन्य) के अंतर्गत किये गये संवीक्षा निर्धारणों में वृद्धियों में महत्वपूर्ण विस्तार (80 प्रतिशत तक) से यह प्रदर्शित होता है कि इस कोड के अंतर्गत आने वाले निर्धारित मनोरंजन क्षेत्र में राजस्व उत्तपत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यद्यपि, इस कोड के अंतर्गत

8 ₹ 4,292.23 करोड़ की कुल वृद्धियों में से ₹ 2,863.42 करोड़ का योग

9 ₹ 10,306.31 करोड़ की कुल वृद्धियों में से ₹ 12,783.66 करोड़ का योग

10 1,229 में से 771

11 2,942 में से 1,995

संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों की संख्या वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान इस कोड के अंतर्गत मामलों के संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

भागों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार, एनीमेशन, केबल कारोबार आदि की संख्या के रूप में कोड 906 में एकत्रित किया गया है, निर्धारितियों की विशिष्ट शोधन संवीक्षा और निगरानी उद्देश्यों के अंतर्गत चयन हेतु संभव नहीं हैं। इस प्रकार, कोड 906 के अंतर्गत श्रेणियां पहचानने की आवश्यकता है और इसके बाद संवीक्षा चयन के लिए जोखिम के वैज्ञानिक चयन और प्रभावी मूल्यांकन को सुगम करने के लिए उभरते हुए भागों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार आदि के अंतर्गत निर्धारितियों को विशिष्ट कोड आबंटन हेतु इसे दर्शाते हैं।

2.2 विभाग के अंतर्गत सहयोग

आईटीडी में निर्धारण इकाईयों को इस प्रकार से संरचित किया गया है कि प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रशासित किया जा सके। यद्यपि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जैसे 143(3), 147, 263 आदि के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नियमित निर्धारण/पुनःनिर्धारण निगमित/गैर-निगमित निर्धारण सर्कल और वार्ड में की गई, खंड 153ए, 153सी आदि के अंतर्गत जांच और जब्ती संबंधित निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में अंतिम रूप दिया है। स्रोत पर दी गई छूट (टीडीएस) और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः नामित एओ (टीडीएस) और एओ (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा निर्धारण पूरे किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित अभिलेख के बीच प्रभावी सहयोग के उद्देश्य और फिल्म/टीवी उद्योग के व्यक्तियों के निर्धारणों के संबंध में सूचना के प्रभावी प्रति सत्यापन के उद्देश्य हेतु, आईटीडी ने समर्पित फिल्म/मीडिया निर्धारण इकाईयाँ तैयार की हैं। आईटीडी के विभिन्न अनुभागों के बीच सहयोग और सूचना को साझा करना राजस्व के संभावित रिसाव को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग के सहयोग के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आगामी पैराग्राफ में वर्णन किया गया है।

2.2.1 सूचना को साझा करना और उपयोग करना

₹ 201.96 करोड़ के कर प्रभाव सहित कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में 11 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों के संबंध में सूचना निर्धारण पूरा करने के समय पर आईटीडी के विभिन्न प्रभारों के बीच साझा नहीं किया गया था, जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। दो निदर्शी मामले नीचे दिये गये हैं (बॉक्स 2.1 देखें)।

बॉक्स 2.1: सूचना को साझा करने और उपयोग करने का दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-10, मुंबई

निर्धारिती: मै. जेएमडी टेलीफिल्मस इंडस्ट्रीज लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15 और 2015-16

निर्धारिती के वि.व. 2014-15 और 2015-16 हेतु संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 1.26 करोड़ और ₹ 1.78 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि “पैनी स्टॉक कंपनियों द्वारा फर्जी एलटीसीजी” पर पीडीआईटी (जांच), कोलकाता की जांच रिपोर्ट दिनांक 27 अप्रैल 2015 के पत्र द्वारा डीजीआईटी (जांच) को भेजा गया था जिसमें कि पैनी स्टॉक कंपनियों और उनकी कार्य प्रणाली के विवरण का वर्णन किया गया था और संबंधित डीजीएसआईटी से संबंधित सीएसआईटी द्वारा एओ को रिपोर्ट प्रसारित करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि कोलकाता जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्धारिती (मै. जेएमडी टेलीफिल्मस इंडस्ट्रीज लिमि.) पैनी स्टॉक कंपनियों में से एक था। यद्यपि, दिसंबर 2016 में संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, नि.अ. ने पीडीआईटी (जांच), कोलकाता की सूचना का कोई संज्ञान नहीं लिया जाने से यह पता चलता है कि या तो सूचना सीसीआईटी द्वारा नि.अ. के साथ साझा नहीं की थी या नि.अ. ने साझा की गई सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार, आईटीडी की कोलकाता इकाई द्वारा साझा की गई सूचना को मुंबई कार्यालय के निर्धारण प्रभार द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-11, मुंबई

निर्धारिती: मै. स्टैलर इंटरैक्टिव मिडिया प्रा. लिमि. (एसआईएमपीएल)

निर्धारण वर्ष: 2013-14

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, जहां किसी विगत वर्ष के लिए अनुरक्षित, किसी निर्धारिती की बही में कोई राशि क्रेडिट की जाती है और उसके बारे में निर्धारिती ने इसकी प्रकृति और स्रोत का कोई विवरण नहीं दिया है या नि.अ. के विचार में निर्धारिती द्वारा दिया गया विवरण संतोषजनक नहीं है, विगत वर्ष की निर्धारिती की आय के रूप में आय कर से ऐसी क्रेडिट की गई राशि प्रभारित की जा सकती है।

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 27.73 लाख की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारण पद्धतियों के अनुसार एओ ने मै. सहारा यूनिवर्सल माइनिंग कार्पोरेशन लि. (एसयूएमसीएल) की पहचान, वास्तविकता और क्रेडिट पात्रता को जांच करने के लिए 10 मार्च, 2016 को डीसीआईटी, सर्कल 8(2), कोलकाता को पत्र भेजा था, क्योंकि निर्धारिती को मै. एसयूएमसीएल, कोलकाता से ₹ 579.29 करोड़ के प्रीमियम सहित शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा स्थानीय जांच से पता चला कि डीसीआईटी(8) कोलकाता ने एओ के साथ आवश्यक सूचना साझा नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने 30 मार्च 2016 को निर्धारिती की आय में ₹ 579.28 करोड़ की अनुद्घोषित राशि को जोड़े बिना निर्धारण पूरा कर दिया था। इसमें सम्मिलित पर्याप्त राशि को देखते हुए एओ तृतीय पक्ष डाटा स्रोत, अर्थात् संवीक्षा निर्धारण पूरा करने के दौरान कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के पास उपलब्ध डाटा, के माध्यम से लेन देन की वास्तविकता को सत्यापित कर सकता था। इस प्रकार दोनों एओ निर्धारिती की संवीक्षा पूरी होने से पहले सत्यापन को सुनिश्चित करने में विफल रहे। यदि आयकर विभाग के दो निर्धारण प्रभारों के बीच सूचना साझा की गई होती तो ₹ 579.28 करोड़ की अनुद्घोषित राशि को निर्धारिती की आय में जोड़ दिया जाता और ₹ 187.95 करोड़ का कर आता। यह इस तथ्य का सूचक है कि आयकर विभाग के विभिन्न प्रभारों के बीच सूचना साझा करना प्रभावपूर्ण नहीं था, इसमें राजस्व रिसाव की गुंजाइश थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-25, मुम्बई
निर्धारिती: समीर बैजनाथ जोशी
निर्धारण वर्ष: 2011-12

अधिनियम की धारा 50 बी में स्लंप सेल के मामले में पूंजीगत लाभों की गणना के साथ सौदा किया गया है जिसमें पिछले वर्ष में प्रभारित होने वाली स्लंप सेल में उत्पन्न कोई भी लाभ आयकर के लिए लागू होगा क्योंकि लंबी अवधि के पूंजीगत सम्पत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें स्थानान्तरण हुआ है।

निर्धारिती ने ₹ 33.51 लाख की कुल आय घोषित करते हुए सितम्बर 2011 में नि.व. 2011-12 के लिए अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत की और अधिनियम की धारा 143(1) के तहत उक्त को संक्षिप्त निर्धारण से आंका गया था। अन्य निर्धारिती को लेखापरीक्षा संवीक्षा, जैसे मै. रिसेप्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरईपीएल)¹² ने बताया कि समीर ने अपने व्यापार उपक्रमों “चंदन सिनेमा” और “चंदन सिनेमा कैंटीन” को दिनांक 7 फरवरी 2011 के समझौते के अनुसार ₹ 38.84 करोड़ के सहमत मूल्य पर आरईपीएल को स्लंप सेल के आधार पर बेच दिया। उपर्युक्त व्यवसाय उपक्रमों के बदले मै. आर ईपीएल ने निर्धारिती को ₹ 38.84 करोड़ की इक्विटी शेयर जारी किए। चूंकि, उपरोक्त हस्तांतरण स्लंप सेल के आधार पर किया गया था, धारा 50बी के प्रावधानों के अनुसार समीर जोशी, हस्तांतरणकर्ता के हाथ में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की आवश्यकता थी। यद्यपि, सितम्बर 2011 में फाईल की गई निर्धारिती की रिटर्न के अनुसार उपरोक्त लेन-देन के संबंध में कोई पूंजीगत लाभ का प्रस्ताव नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नि.व. 2011-12 के लिए समीर बी. जोशी की आईटीआर से यह भी देखा गया कि ₹ 10.65 करोड़ राशि तक उसकी पूंजी में वृद्धि हुई थी तथापि पूंजी/निवेश में वृद्धि का स्रोत आईटीआर में उपलब्ध विवरण से प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईपीएल¹³ के नि.अ. ने उपरोक्त लेन-देन के संबंध में 13 जून 2014 को मुम्बई सर्कल 25(3) के बजाय सर्कल 21(2) के नि.अ. को सूचित किया था और समीर बी. जोशी के

12 नि.व. 2011-12 आईटीओ 11(1)(3), मुम्बई (अब आईटीओ 16(1)(3), मुम्बई) जिसके निर्धारण प्रभार में निर्धारित किया गया था।

13 आईटीओ 11(1)(3), मुम्बई (अब आईटीओ 16(1)(3), मुम्बई)

मामले में सत्यापित करने के लिए कहा, यद्यपि सर्कल 21(2), मुम्बई के नि.अ. ने कोई कार्यवाही नहीं की यह कहते हुए कि यह मामला उसके प्रभार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, सर्कल 21(2) के नि.अ. ने ना तो कोई कार्यवाही की और ना ही राजस्व की सुरक्षा के लिए इसे सर्कल 25(3) के नि.अ. को भेजा। यदि सूचना वास्तविक निर्धारण प्रभार सर्कल 25(3) को भेजी गई होती, तो यह मामला संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित किया गया होता और उपरोक्त लेन-देन कर के दायरे में लाया जा सकता था। यह आईटीडी की विभिन्न इकाईयों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। नि.व. 2011-12 के लिए यह मामला समय बाधित हो गया है जिसके कारण ब्याज को छोड़कर ₹ 11.95 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

2.2.2 नकद संव्यवहारों की जांच

काले धन पर श्वेत पत्र¹⁴ से पता चला कि नकद हमेशा काले धन का सहायक रहा है क्योंकि नकद में किए गए संव्यवहार कोई लेखापरीक्षा ट्रेल नहीं छोड़ते। काले धन के सृजन एवं उपयोग के संबंध में नकद के प्राथमिक महत्व को देखते हुए कानूनी प्रतिबंधों एवं विनियमों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में काले धन के सृजन एवं प्रवाह को रोक सकती है, कार्य करने की आवश्यकता है

अधिनियम की धारा 40ए(3) के अनुसार जहां निर्धारिती कोई व्यय करता है, जिसके संबंध में बैंक में आहरित आदाता खाता चैक या आदाता खाता बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या भुगतानों का औसत बीस हजार रूपए से अधिक है तो ऐसे व्यय के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नमूना हेतु चयनित मामलों की जांच के दौरान तीन राज्यों¹⁵ में पांच मामलों में हमने देखा कि संबंधित पार्टियों के मध्य नकद संव्यवहार किए गए थे। तथापि, एओ ने संबंधित पार्टियों से ब्यौरें प्राप्त करने और क्षेत्राधिकारी एओ को सूचना भेजने हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। दो मामले नीचे दिए गए हैं (बॉक्स 2.2 देखें)।

14 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी (मई 2012) द्वारा जारी

15 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु

बॉक्स 2.2: नकद संव्यवहारों की जांच के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-6, हैदराबाद

निर्धारिती: के. वेणुगोपाल (मै. केवी फिल्मस का मालिक)

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.29 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के बही लेखे से देखा कि निर्धारिती को विभिन्न फिल्मों के अधिकारों की बिक्री के लिए नकद में ₹ 2.92 करोड़ की राशि मिली थी यद्यपि खरीददारों के ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एओ ने खरीददारों के क्षेत्राधिकारी एओ को सूचना भेजने के लिए फिल्म अधिकार खरीदने वालों के ब्यौरे प्राप्त नहीं किए थे जिनसे निर्धारिती ने नकद भुगतान प्राप्त किए थे। एओ द्वारा सूचना प्राप्त न करने और क्षेत्राधिकारी एओ के साथ साझा न करने से नकद संव्यवहारों की जांच में रुकावट आई और अधिनियम की धारा 40ए(3) के अंतर्गत खरीददार के विरुद्ध उक्त का अस्वीकरण नहीं हुआ।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि चूँकि निर्धारिती के मामले में कोई विशेष उल्लंघन नहीं था फिर भी निर्धारिती से ब्यौरे प्राप्त करने के लिए और उसे क्षेत्राधिकारी एओ को भेजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आयकर विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदघोषित आय का मुख्य स्रोत होने के कारण नकद संव्यवहारों की विशिष्ट संवीक्षा निर्धारण के लिए अवश्य जांच की जानी चाहिए और संभावित राजस्व रिसाव रोकने के लिए नकद भुगतान करने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे संबंधित एओ के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-10, चेन्नई

निर्धारिती: मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मिडिया

निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के निर्धारण अभिलेखों से देखा कि, निर्धारिती ने स्वीकार किया था कि उसने वि.व. 2012-13 के दौरान मै. स्टूडियो ग्रीन से ₹ 2.45 करोड़ नकद प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा नि.व. 2013-14 के लिए मै. स्टूडियो ग्रीन के निर्धारण अभिलेखों की प्रति जांच की और पाया कि एओ

(मै. स्टूडियो ग्रीन का निर्धारण करने वाला) ने व्ययों की राशि को वापस नहीं जोड़ा था जिसके लिए अधिनियम की धारा 40ए(3) का उल्लंघन करते हुए मै. स्टूडियो ग्रीन द्वारा मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया को नकद भुगतान किया गया था। यदि नकद संव्यवहारों की सूचना निर्धारिती अर्थात् मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया के एओ द्वारा मै. स्टूडियो ग्रीन का निर्धारण करने वाले क्षेत्राधिकारी एओ के साथ साझा की गई होती तो संभावित राजस्व रिसाव को रोकने हेतु ऐसे संव्यवहारों की लीक (ट्रेल) का पता चल जाता।

2.2.3 समर्पित फिल्म सर्कल/वार्डों के सृजन की प्रभावकारिता

निर्धारणों पर पूर्ण नियंत्रण और फिल्म उद्योग से संबंधित निर्धारितियों के निर्धारणों में अधिक समन्वय एवं प्रभावी प्रबन्धन के मद्देनजर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में समर्पित फिल्म सर्कल बनाए गए हैं क्योंकि वहां अधिकतर फिल्मों का निर्माण किया जाता है।

उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित सभी मामलों का निर्धारण फिल्म सर्कल में किया जाए। तथापि, मुंबई में डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली से प्राप्त संवीक्षा डाटा से यह देखा गया कि वि.व. 2013-14 से 2016-17 तक फिल्म तथा टेलीविजन खंड (व्यवसाय कोड 901 से 905) के 240 निर्धारितियों का निर्धारण अन्य प्रभारों अर्थात् फिल्म सर्कलों/वार्डों के अलावा, में किया गया था। सीएजी की 2010-11 की रिपोर्ट सं. 36¹⁶ में भी ऐसा ही मामला उठाया गया था जिसमें यह सूचना दी गई थी कि 140 निर्धारितियों का निर्धारण फिल्म सर्कल से बाहर किया गया था और सीसीआईटी-1, मुंबई ने फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित सभी मामलों को फिल्म सर्कल में हस्तांतरित करने के लिए मुंबई में सभी सीसीआईटी को अनुदेश जारी किए थे (अप्रैल 2010)। तथापि, अब भी अन्य प्रभारों में 240 मामलों का निर्धारण पाया गया था। इसी प्रकार बेंगलुरु में फिल्म तथा टेलीविजन खंड से संबंधित 62 निर्धारितियों का निर्धारण फिल्म सर्कलों¹⁷ से बाहर किया गया था। अतः अंतर-संबंधित परियोजनाओं और निर्धारितियों के तथ्यों एवं आकड़ों की प्रति-

16 "फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संक्षिप्त निर्धारितियों का कराधार" पर प्रतिवेदन

17 डीसीआईटी 2(3)(1), बेंगलुरु, आईटीओ 2(3)(5), बेंगलुरु-दोनों पीसीआईटी-2, बेंगलुरु के अंतर्गत

जांच द्वारा राजस्व हानि के जोखिम को कम करने के मद्देनजर फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग के मामलों के निर्धारण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

2.3 अन्य राज्यों/केंद्र सरकार के विभागों में समन्वय

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 131(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु एओ के पास समान शक्तियां होंगी जैसाकि सिविल प्रक्रिया कोड 1908 के तहत न्यायालय को दी गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ “खाता बही एवं अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति हेतु बाध्य करना” भी सम्मिलित है। इसके अलावा, सीबीडीटी¹⁸ द्वारा निर्धारित कार्यालय पद्धति की आयकर विभाग की नियमपुस्तक द्वारा निर्धारितियों पर अत्यावश्यक सूचना, मौजूदा के साथ-साथ संभावित दोनों प्राप्त करने हेतु आयकर प्राधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, बिक्री कर एवं व्यापार कर विभागों, राज्य उत्पाद शुल्क विभागों, जिला प्रशासन तथा आर्थिक अपराधों और पुलिस प्राधिकारियों से डील करने वाली सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी आयकर विभाग को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य विभागों के पास उपलब्ध निर्धारिती की सूचना का एओ द्वारा निर्धारण पूर्ण करते समय प्रभाविकता से उपयोग नहीं किया गया जिससे राजस्व रिसाव की गुंजाइश रह जाती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.1 राज्य सरकारों के साथ समन्वय

आयकर विभाग द्वारा निर्माताओं से लेकर फिल्म की टिकटों की बिक्री पर प्रदर्शकों के स्तर तक की श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तावित आय की जांच के लिए मनोरंजन कर, अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित, प्राप्त एवं उपयोग किया जा सकता था जिसे राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किया जाता था। अतः मनोरंजन कर के उद्देश्य हेतु दर्शाई गई प्राप्तियों, के संबंध में निर्धारितियों की बहियों में दर्शाई गई वास्तविक प्राप्तियों की प्रति जांच हेतु बॉक्स ऑफिस संग्रहण का चयन किया जा सकता था।

18 आयकर विभाग एमओपी का पैरा 9 - अध्याय 4 - संस्करण-III; संस्करण II के अध्याय 9 के तहत पैरा 34.2.2

2.3.1.1 हमने आय कर अधिनियम के अनुसार निर्धारितियों द्वारा जमा किए गए मनोरंजन कर तथा प्रस्तुत आय की दोहरी जांच के लिए महालेखाकर के माध्यम से दिल्ली राज्य के मनोरंजन कर डाटा की सूचना मांगी। हमने 30 निर्धारितियों के संदर्भ में संग्रहित मनोरंजन कर के ब्यौरे प्राप्त किए। हमने दो निर्धारितियों अर्थात मै. मूवी टाइम्स सिनेप्लेक्स प्रा. लि. तथा मै. एम 2 के एंटेरेटेनमेंट प्रा. लि. के संदर्भ में आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारितियों द्वारा जमा मनोरंजन कर तथा प्रस्तुत आय की नमूना जांच और दोहरी जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

दिल्ली में, बेची गई टिकटों के ब्यौरे फार्म '7'¹⁹ में फिल्म के प्रत्येक प्रदर्शन के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं जिसमें टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल राशि तथा संग्रहित मनोरंजन कर और अधिभार की राशि दर्शाई जाती है। लेखापरीक्षा ने दिल्ली में दो निर्धारण मामलों में देखा कि फार्म '7' में दर्शाए गए संग्रहण के संदर्भ में निर्धारितियों द्वारा दिए गए राजस्व संग्रहण आकड़ों की जांच न करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.99 करोड़ की कम मांग रखी गई। मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 2.3 देखें)।

बॉक्स 2.3: अन्य केंद्र/राज्य विभागों के साथ समन्वय के निदर्शी मामलों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-6, दिल्ली

निर्धारिती: मै. मूवी टाइम्स सिनेप्लैक्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

दिल्ली में दो मल्टीप्लेक्स सिनेमा चलाने का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती ने टिकटों की बिक्री से नि.व. 2011-12 से 2014-15 के अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 127.95 करोड़ (मनोरंजन कर छोड़कर) की आय प्रस्तुत की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मनोरंजन कर विभाग, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना से देखा कि निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान दो सिनेमा घर के प्रति ₹ 46.01 करोड़ का मनोरंजन कर जमा किया था। चूँकि, टिकटों की बिक्री पर लागू 20 प्रतिशत मनोरंजन कर पर विचार करते हुए सिनेमा घर

19 दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग कर नियमावली, 1997 के नियम 14 के अनुसार

द्वारा सृजित तदनुरूपी आय ₹ 230.06 करोड़ गिनी गई। अतः ₹ 102.11 करोड़ (₹ 230.06 करोड़ - ₹ 127.95 करोड़) की कम आय की सूचना दी गई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 43.93 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-6, दिल्ली

निर्धारिती: मै. एम2के एंटरटेनमेंट प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

दिल्ली में दो मल्टीप्लेक्स सिनेमा चलाने का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती ने टिकटों की बिक्री से नि.व. 2011-12 से 2014-15 के अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 39.72 करोड़ (मनोरंजन कर छोड़कर) की आय प्रस्तुत की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मनोरंजन कर विभाग, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना से देखा कि निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान दो सिनेमा घर के प्रति ₹ 19.36 करोड़ का मनोरंजन कर जमा किया था। चूँकि, टिकटों की बिक्री पर लागू 20 प्रतिशत मनोरंजन कर पर विचार करते हुए सिनेमा घर द्वारा सृजित तदनुरूपी आय ₹ 96.80 करोड़ गिनी गई। अतः ₹ 57.08 करोड़ (₹ 96.80 करोड़ - ₹ 39.72 करोड़) की कम आय की सूचना दी गई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 24.06 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि निर्धारिती ने मनोरंजन कर विभाग को प्रस्तुत किए गए इसके अभिलेखों एवं निष्पादन प्रतिवेदनों की जांच की थी, यद्यपि यह संग्रहित एवं जमा कराए गए मनोरंजन कर के किसी आंकड़ों का पता नहीं लगा सका जैसे कि लेखापरीक्षा ने दर्शाए हैं और आंकड़े लेने में कोई गलती हुई होगी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एओ ने निर्धारिती के बयान पर विश्वास किया और निर्धारिती द्वारा अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दर्शाई गई आय के प्रति सत्यापन हेतु राज्य विभाग के पास निर्धारिती द्वारा जमा कराए गए मनोरंजन कर की जांच नहीं की।

2.3.1.2 महाराष्ट्र में प्रत्येक थियेटर मालिक को मुम्बई मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1923 के अंतर्गत फार्म बी में साप्ताहिक रिटर्न भरनी थी। इस साप्ताहिक रिटर्न में राजस्व संग्रहण के फिल्मवार ब्यौरे तथा भुगतान किया गया मनोरंजन कर शामिल था। अतः राज्य सरकार के मनोरंजन कर विभाग के पास फिल्म के प्रदर्शन से प्राप्त राजस्व के बारे में मौलिक सूचना उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र (प्रधान सीआईटी-16, मुंबई प्रभार) में 12 मामलों²⁰ की नमूना जांच में देखा कि एओ ने किसी भी मामले में राजस्व संग्रहण की फार्म बी में दर्शाए गए वास्तविक संग्रहण के साथ जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

उपर दर्शाए गए मामलों से पता चलता है कि आयकर विभाग ने अन्य विभागों से संपर्क नहीं किया और इसने निर्धारितियों की उद्घोषणाओं को बिना किसी प्रति जांच के स्वीकार किया था।

2.3.1.3 कर्नाटक में, मनोरंजन का व्यवसाय चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर्नाटक मनोरंजन कर अधिनियम 1958 की धारा 4ई के साथ पढ़े गए नियम 17ए के अनुसार फार्म XXIII में मासिक रिटर्न दाखिल करना था। मासिक रिटर्न में प्रवेश टिकटों के भुगतान के विवरण और सभी सम्मानार्थ टिकटों और पासों और मनोरंजन कर के भुगतान के विवरण शामिल थे।

कर्नाटक, पीसीआईटी-1, बेंगलुरु प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक निर्धारिती, बेंगलुरु लेज़र प्रा. लिमि. ने वि.व. 2012-13 (नि.व. 2013-14 के प्रसंग में) के अन्तर्गत कर्नाटक मनोरंजन कर अधिनियम, 1958 के फार्म XXIII में मनोरंजन के कारोबार से ₹ 3.75 करोड़ (मनोरंजन कर का शुद्ध) पर कुल संग्रह प्रस्तुत किया था। यद्यपि, उक्त वि.व. हेतु लाभ और हानि लेखे में आय के रूप में केवल ₹ 2.78 करोड़ ही निर्धारिती ने प्रस्तुत किये थे और इस कारण ₹ 0.42 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.97 करोड़ तक आय का कम

20 (1) राजीव मल्होत्रा (2) मै. स्वानस्टन मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्रा.लिमिटेड (3) मै. क्वालिटी सिने लैब्स प्रा. लिमिटेड (4) मै. दि बंगाल प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड (5) मै. फिदा फिल्मस एंड होटल्स कंपनी प्रा. लिमिटेड (6) मै. श्रृंगार फिल्मस (7) चंपकलाल प्राणलाल जवेरी (8) राहुल मधुसूदन हास्कर (9) मै. रक्षा एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड (10) मै. राजश्री पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड (11) मै. मारुति इंटरनेशनल और (12) मै. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड।

निर्धारण किया गया। फार्म XXIII में निर्धारिती द्वारा घोषित वास्तविक संग्रह कि राशि और लाभ और हानि लेखे में दी गई राशि का प्रति सत्यापन न करने के कारण ₹ 0.42 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.97 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और उपचारात्मक कार्यवाही शुरू करने को सहमत हुआ (सितंबर 2018)।

2.3.2 केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय

सरकार का राजस्व बढ़ाने और संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए, बाह्य स्रोतों जैसे अन्य केंद्र सरकार एजेंसियों के डाटा, से प्राप्त सूचना का आयकर विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जिनमें आयकर विभाग ने निर्धारणों को पूर्ण करते समय केंद्र सरकार की एजेंसियों से समन्वय नहीं किया जिससे राजस्व रिसाव की गुंजाईस रह गई। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.3.2.1 कॉपीराइट रजिस्ट्रार के साथ समन्वय

कॉपीराइट (संशोधित) अधिनियम, 2012²¹ की धारा 33 से 35 के अनुसार कॉपीराइट सोसायटी को पांच वर्षों की अवधि के बाद नए सिरे से कॉपीराइट रजिस्ट्रार के पास स्वयं को पंजीकृत कराना है। इसके अतिरिक्त, नवीकरण कॉपीराइट के मालिकों के रूप में कार्यों के लेखको की उनकी क्षमता में या रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकार हेतु साझा की जा रही कॉपीराइट सॉसायटी के निरंतर सामूहिक नियंत्रण में होगा।

महाराष्ट्र, पीसीआईटी-16, मुंबई प्रभार में नि.व. 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती, मै. इंडियन परफोर्मिंग राइट सॉसायटी लि. का निर्धारण मार्च 2016 और दिसम्बर 2016 में क्रमशः ₹ 21.63 लाख और ₹ 19.81 लाख की आय पर संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ। किसी संगीत संबंधी कार्य के रचनाकार या मालिक होने के नाते अपने सदस्यों की तरफ से रॉयल्टी संग्रहण करने में लगा निर्धारिती निवल आय को इसके सदस्यों को देय के रूप में घोषित कर रहा था और उक्त का उपयोग कर से छूट के रूप में किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नया पंजीकरण नहीं कराया था, इससे

21 कॉपीराइट अधिनियम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।

कॉपीराइट (संशोधित) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, नि.व. 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः ₹ 38.28 करोड़ और ₹ 39.67 करोड़ की रॉयल्टी आय को निर्धारिती के हाथ में आय के रूप में मानना और कर लगाना आवश्यक था।

यदि आयकर विभाग ने कॉपीराइट रजिस्ट्रार से समन्य किया होता और मामले पर कार्रवाई की होती तो निर्धारिती द्वारा लिए गए अनुचित लाभ को रोका जा सकता था और राजकोषीय हानि से बचा जा सकता था।

2.3.2.2 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ समन्वय

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है और चार राज्यों में विशिष्ट फिल्म सर्कल तथा फिल्म वार्ड मौजूद हैं फिर भी आयकर विभाग ने प्रमाणित फिल्मों के सीबीएफसी डाटा की तुलना में प्राप्त फार्म 52ए²² की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। ऐसी प्रति जांच के अभाव में आयकर विभाग निर्धारिती द्वारा फाइल करने हेतु अपेक्षित फार्म 52ए की संख्या सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। अगले अध्याय (पैरा 3.7.4) में हमने दर्शाया है कि फिल्म निर्माताओं ने 152 फिल्मों के लिए फार्म 52ए प्रस्तुत नहीं किए थे जिससे निर्धारिती द्वारा दावा किए गए व्ययों के संबंध में एओ द्वारा प्रभावपूर्ण जांच प्रभावित हुई। आयकर विभाग को निर्धारितियों से फार्म 52ए की प्राप्ति की उचित निगरानी के लिए सीबीएफसी की सूचना का उपयोग करने हेतु तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

2.4 कराधार के सुदृढ़ीकरण/विस्तार में सर्वेक्षण की भूमिका

आयकर अधिनियम की धारा 133ए तथा 133बी निर्धारिती के वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु आयकर विभाग को शक्तियां प्रदान करती है। सर्वेक्षण आयकर विभाग को नए निर्धारितियों की पहचान करने, विवरणी दाखिल करना बन्द करने वालों (स्टॉप फाइलर्स) तथा कर अपवंचन का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।

22 सिनेमा फिल्म का निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतानों के विवरण देते हुए फार्म 52ए में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

मनोरंजन क्षेत्र में वि.व. 2013-14 से 2016-17 के दौरान किए गए नियमित सर्वेक्षणों (चयनित यूनिटों में) से संबंधित सूचना आयकर विभाग से मांगी गई थी। यह देखा गया कि छः राज्यों²³ में 25 सर्वेक्षण किए गए थे जिसमें ₹ 262.17 करोड़ के अनुवृद्धि/प्रकटन किए गए थे। तथापि, वि.व. 2013-14 से 2016-17 के अन्तर्गत मनोरंजन क्षेत्र में 13 राज्यों²⁴ में कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे। गुजरात राज्य में किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अतः, कराधार सुदृढीकरण के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी तंत्र होने के बावजूद आयकर विभाग ने सर्वेक्षणों का वि.व 2013-14 से 2016-17 के दौरान 14 राज्यों में पूर्णतया उपयोग नहीं किया था।

2.5 निष्कर्ष

- कारोबार कोड 906 (अन्य) मनोरंजन क्षेत्र में 87 प्रतिशत निर्धारितियों का लेखा करता है और इस कोड के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती इस क्षेत्र में राजस्व उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कोड 906 के तहत श्रेणियों की पहचान करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक चयन को सरल बनाने तथा संवीक्षा चयन हेतु जोखिम में प्रभावी मूल्यांकन के लिए उभरते क्षेत्रों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार आदि के अंतर्गत निर्धारितियों को विशेष कोड के आबंटन हेतु इसके निरूपण की आवश्यकता है।
- निर्धारिती की उपयोगी सूचना आयकर विभाग के विभिन्न प्रभागों के मध्य साझा नहीं की गई थी जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। आयकर विभाग ने राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों से उनके पास उपलब्ध डाटा के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय भी नहीं किया।
- यद्यपि, समर्पित यूनिटों में फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग के सभी निर्धारितियों के निर्धारण हेतु विशेष फिल्म सर्कल/वार्ड बनाए गए थे, फिर भी आयकर विभाग ने नामित सर्कलों/वार्डों में उनका निर्धारण

23 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु

24 बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, एनईआर, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे जिससे संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच तथा राजस्व के संभावित रिसाव की रोकथाम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

- कराधार के सुदृढीकरण के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी तंत्र होने के बावजूद वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान सर्वेक्षणों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

2.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

- क. सीबीडीटी विस्तृत संवीक्षा हेतु निर्धारितियों की बेहतर निगरानी, बेहतर सतर्कता तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिए फिल्म कलाकार तथा मनोरंजन उद्योग में उभरते क्षेत्रों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन आदि को अलग कोड आबंटित करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि कारोबार की प्रकृति दर्शाते हुए कोड पुनः बनाए गए हैं और नि.व. 2018-19 हेतु अधिसूचित रिटर्न फार्म में संशोधित किए गए हैं तथा संशोधित कोड के अनुसार “संस्कृति एवं खेल” से संबंधित कॉलम में मनोरंजन उद्योग के विभिन्न नए और उभरते क्षेत्र शामिल किए गए हैं। सीबीडीटी ने रचनाकार, जो सभी क्षेत्रों में कलाकारों को सम्मिलित करता है, को छोड़ते हुए पृथक कलाकारों को कोड पहले ही आबंटित किया हुआ है (नि.व. 2018-19 हेतु नए आईटीआर फार्म में) अतः अब फिल्म के कलाकारों के लिए किसी अलग कोड की आवश्यकता नहीं है।

इस संदर्भ में यह बताया गया है कि मनोरंजन क्षेत्र के उभरते क्षेत्र कार्यक्रम प्रबन्धन को नि.व. 2018-19 हेतु अधिसूचित रिटर्न फार्म में अलग कोड आबंटित नहीं किया गया है। फिल्म कलाकारों को कोड आबंटन के संबंध में लेखापरीक्षा का मत है कि उच्च जोखिम निर्धारिती होने के कारण फिल्म कलाकारों को विस्तृत संवीक्षा हेतु ऐसे निर्धारितियों की बेहतर निगरानी, बेहतर सतर्कता तथा पहचान हेतु पृथक कोड आबंटित किए जाए।

ख. आयकर विभाग निर्धारणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग में उपयोगी सूचना को साझा करने तथा प्रति जांच हेतु मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि तंत्रको बेहतर बनाने/सुधार हेतु सुझाव नोट कर लिया है।

ग. सीबीडीटी निर्धारितियों द्वारा उनकी आयकर विवरणी में दर्शाए गए राजस्व संग्रहण के आंकड़ों की प्रति जांच के लिए बाह्य एजेंसियों जैसे केंद्र/राज्य के राजस्व विभागों/प्राधिकरणों से प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय स्थापित करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि राज्य/केंद्र सरकार में अन्य संभावित भागीदारों के साथ डाटा विनिमय बेहतर बनाने/सुधार करने के लिए सुझाव नोट कर लिया है।

घ. सीबीडीटी सुनिश्चित करें कि फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामलों का निर्धारण फिल्म सर्कलों/वार्डों में किया जाए ताकि संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच की जा सके तथा राजस्व रिसाव रोका जा सके।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फिल्म तथा मनोरंजन क्षेत्र के मामलों के केंद्रीकृत पद्धति से एक ही स्थान पर निर्धारण के लिए मुख्य स्टेशनों जैसे मुंबई, चेन्नई तथा हैदराबाद में पहले ही पृथक फिल्म सर्कलों का निर्माण किया गया है और सीबीडीटी की तरफ से इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

यह उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश का समाधान नहीं करता क्योंकि फिल्म सर्कलों/वार्डों से बाहर निर्धारण होने वाले निर्धारितियों की संख्या में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वास्तव में 140 (2010-11 के सीएजी के प्रतिवेदन 36 में दर्शाया गया) से 240 तक वृद्धि हुई थी। सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामलों का निर्धारण पहले से निर्मित फिल्म सर्कलों/वार्डों में किया जाता है ताकि संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच की जा सके और राजस्व रिसाव रोका जा सके।

